



Neutral Citation No-2026:AHC:7187

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 39 वर्ष 2026

रमाकांत और 2 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

समेकन के उप निदेशक, और 42 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अशोक कुमार गुप्ता, चंद्रशेखर अग्निहोत्री, मनोज कुमार दुबे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अयूब खान, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. श्री अयूब खान, अधिवक्ता ने आज अदालत में प्रतिपक्षी संख्या-6 से 14 की ओर से उपस्थिति का ज्ञापन दायर किया है, जिसे अभिलेखों पर लिया गया है। कार्यालय को, जब भी तदनुसार आगे बढ़ने और प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता के रूप में उनका नाम प्रिंट करने का निर्देश दिया जाता है।
2. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, प्रतिपक्षी संख्या-6 से 14 के अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षी संख्या-1 से 5 के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
3. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

(i) उत्तर प्रदेश आवास अधिनियम, 1953 की धारा 48(1) के तहत केस संख्या-0061/2025, रमाकांत और अन्य बनाम शिवलोचन और अन्य में प्रतिपक्षी संख्या-1 द्वारा पारित दिनांक 31.10.2025 (अनुलग्नक-1) के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। साथ ही उत्तर प्रदेश सीएच नियम, 1954 के नियम 109-ए(3) के तहत केस संख्या-0355/2023, शिवलोचन और अन्य बनाम कमलाकांत और अन्य के मामले में प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित



आदेश दिनांक 20.05.2025 (अनुलग्नक-17) के साथ-साथ आदेश भी जारी किया गया है।

(ii) प्रतिपक्षी संख्या-4 द्वारा पारित दिनांक 13.07.1978 और 18.05.1976(अनुलग्नक संख्या-2) के आक्षेपित आदेशों को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, साथ ही प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा अपील संख्या-431/1979 में प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित आदेश संख्या-431/1979, किशनराम और अन्य बनाम श्याम सुंदर और अन्य, यू.पी.सी.एच. अधिनियम 1953 की धारा 11(2) के तहत, दिनांक 16.03.1981 (अनुलग्नक संख्या-5) और 23.12.2022 (अनुलग्नक संख्या-11), प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा पारित आदेशों के साथ।

4. लंबे समय तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका पर जोर नहीं दिया है। जहां तक (ii) का संबंध है, जो यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9क(2) के तहत शीर्षक कार्यवाही से संबंधित है; हालांकि अधिवक्ता ने केवल प्रार्थना संख्या-पर जोर दिया है। (i), जो यू.पी.सी.एच. नियमों के नियम 109क के तहत कार्यवाहियों से संबंधित है।

5. प्रस्तुत रिट याचिका प्रतिपक्षियों की ओर से दायर यू.पी.सी.एच. नियमों के नियम 109ए के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होती है। चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 18.04.2023 के आदेश के माध्यम से, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 13.07.1978 और 18.05.1976 के आदेशों से संबंधित मूल अभिलेखों के अस्तित्व के अभाव में यू.पी.सी.एच. नियमों के नियम 109ए(2) के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया। व्यथित होने के बाद, प्रतिपक्षियों ने अपील दायर की। समेकन के निपटान अधिकारी ने दिनांक 20.05.2025 के आदेश के माध्यम से अपील की अनुमति दी और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नए सिरे से निर्णय लेने के लिए संबंधित चकबंदी अधिकारी के समक्ष मामले को भेज दिया। अपील की अनुमति देते समय, चकबंदी के निपटान अधिकारी ने अपील दायर करने और दिनांक 13.07.1978 और 18.05.1976 के आदेशों से उत्पन्न पुनरीक्षण के संबंध में कुछ टिप्पणियां भी कीं। समेकन के उप निदेशक ने प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं की ओर से पुनरीक्षण दायर किए जाने पर, दिनांक 31.10.2025 के आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया, जिससे समेकन के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई।



6. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह प्रकट होता है कि यू.पी.सी.एच. नियमों के नियम 109ए(2) के तहत कार्यवाही अभी भी चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित 20.05.2025 के रिमांड आदेश के अनुसरण में चकबंदी अधिकारी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। अपील की अनुमति देते हुए, चकबंदी के निपटान अधिकारी ने चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 06.10.1979 के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 13.07.1978 के आदेश की पुष्टि की गई थी। दिनांक 06.10.1979 के आदेश के विरुद्ध अधिमान्य संशोधन का निर्णय चकबंदी उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 23.12.2022 के आदेश द्वारा किया गया था।

7. प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता ने बताया है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 13.07.1978 के आदेश और चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित 30.12.2022 के आदेश के बीच मुकदमेबाजी का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास मौजूद है।

8. मेरी सुविचारित राय में, याचिकाकर्ताओं के लिए विस्तृत आपत्तियां दर्ज करने और यू.पी.सी.एच. नियमों के नियम 109ए(2) के तहत आपत्ति/आवेदन पर विचार करते समय चकबंदी अधिकारी के समक्ष सभी प्रासंगिक तथ्यों को रखने का अवसर अभी भी खुला है। इस मोड़ पर, इस अदालत के लिए चकबंदी अधिकारी और समेकन के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता और शुद्धता की जांच करना उचित नहीं होगा, क्योंकि नियमित पक्ष पर अलग-अलग कार्यवाही अदालत के समक्ष लंबित बताई गई है, जैसा कि प्रतिपक्षी के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है।

9. यदि प्रस्तुत याचिकाकर्ता यू.पी.सी.एच. नियमों के नियम 109ए(2) के तहत प्रतिपक्षी प्रतिपक्षियों द्वारा दायर आपत्ति/आवेदन पर विस्तृत आपत्तियां दर्ज करते हैं, तो सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा चकबंदी अधिकारी द्वारा उस पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

10. चकबंदी अधिकारी (प्रतिपक्षी संख्या-3) दिन के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर यू.पी.सी.एच. नियमों के नियम 109ए(2) के तहत उपरोक्त आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का हर संभव प्रयास करेगा।

11. तदनुसार, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।



जनवरी 12, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!